भारत सरकार
मानव संसाधन विकास
मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग

महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना

CENTRAL SECTOR SCHEME OF SCHOLARSHIP FOR COLLEGE AND UNIVERSITY STUDENTS 2010-11

1. पृष्ठ भूमि (BACKGROUND)

राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1961–62 में शुरू की गई थी। यह कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर के निर्धन परन्तु प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1971–72 में ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति की एक योजना प्रारम्भ की गई थी। यह छात्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा VI से XII तक के प्रतिभावान एवं निर्धन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती थी। वर्ष 2005–06 से इन दोनों छात्रवृत्तियों को मिला दिया गया तथा क्रियान्वित करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति योजना के नाम से एक ही योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना कक्षा IX से स्नातकोत्तर स्तर के प्रतिभावान छात्रों के लिए उपलब्ध थी। योजना आयोग द्वारा सन् 2007–08 में आवश्यक धन राशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण इसे 01.04.2007 से बन्द कर दिया गया। वर्ष 2007–08 से विद्यालयीन शिक्षा एक नये विभाग अर्थात विद्यालयीन शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन कर दी गई। विद्यालयीन शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना (National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme) से कक्षा IX से XII के प्रतिभावान विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने निम्न आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए जो महाविद्यालय/

विश्वविद्यालय में प्रवेश लेंगे, के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना की क्रियान्विति 11वीं योजना की अवधि में 1000 करोड़ रूपयों की निर्धारित राशि के साथ जायेगी। यह केन्द्रीय क्षेत्र की महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना 'Central Sector Scheme of Scholarship For College and University Students' है।

2. **उद्देश्य** (OBJECTIVE)

निम्न आय वर्ग के परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय दैनिक खर्चों की आंशिक पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. **क्षेत्र** (SCOPE)

यह छात्रवृत्ति हायर सेकण्डरी परीक्षा (XII) के परिणामों के आधार पर प्रदान की जायेगी। महाविद्यालयीन/विश्वविद्यलयीन स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर तथा चिकित्सा, अभियान्त्रिकी जैसे पाठ्यक्रमों के स्तर पर पूरे देश में 82,000 छात्रवृत्तियाँ (41,000 लड़कों के लिए तथा 41,000 लड़कियों के लिए) प्रदान की जायेगी।

4. **छात्रवृत्तियों का आवंटन (ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS)**

छात्रवृत्तियों की कुल संख्या को राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों में विभाजित कर दिया जायेगा। इन छात्रवृत्तियों को 18–25 आयु वर्ग के विद्यार्थियों में वितरित किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश राज्य हेतु कुल 4299 छात्रवृत्तियाँ आवंटित की गई हैं जिसमें 50% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित की जावेंगी। प्रदेश हेतु आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या को विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों में 3:2:1 के अनुपात में वितरित किये जावेगा।

5. **पात्रता (ELIGIBILITY)**

10+2 पेटर्न की कक्षा XII में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 36012/22/93 Estt (SCT) दिनांक 08.11.93 (परिशिष्ट IV) तथा जिसे उनके ओ.एम.सं. 36033/3/2004 Estt (Res)

दिनांक 09.03.2004 (परिशिष्ट V) द्वारा संशोधित किया गया एवं जिसे समय–समय पर आगे भी संशोधित किया जा सकता है, में परिभाषित Creamy Layer का न हो तथा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था के नियिमत पाठ्यक्रम (न कि पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा) में अध्ययनरत हो और जिसे और कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो, इसके पात्र होंगे। यह सभी श्रेणियों के सामान्य एवं आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों पर लागू होगी।

5.1 **आरक्षण (RESERVATION) :-** आरक्षित/कमजोर/अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी मैरिट के आधार पर केन्द्रीय आरक्षण नीति तथा आन्तरिक निर्धारण के तहत पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति Non Creamy layers के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। इस विषय से संबंधित संदर्शिका या निर्देशिका के अनुसार अभिभावक की आय की उच्चतम सीमा 4.5 लाख रूपये प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण इस प्रकार हैं :– अनु.जा. 15 प्रतिशत, ज.जा. 7.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत है तथा समान्तर रूप में सभी वर्गों में 3 प्रतिशत विकलांग के लिए आरक्षण उपलब्ध होगा।

6. **चयन प्रणाली** (SELECTION PROCEDURE) :-

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक विद्यार्थी जो इस हेतु सभी मापदण्ड पूर्ण करते हों, अपने आवेदन पत्र की पूर्ण रूप से पूर्ति उपरांत संबंधित शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जॉयनिंग रिपोर्ट, विवरण प्रपत्र तथा छात्र के शपथ पत्र की प्राप्ति के पश्चात संबंधित शिक्षा बोर्ड छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की सूची को मैरिट पात्रता मापदण्ड तथा केन्द्र सरकार की आरक्षण मार्गदर्शिका के आधार पर संकलित करेगा तथा उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति प्रभाग को प्रेषित करेगा। यह प्रभाग निर्दिष्ट बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति के भुगतान की व्यवस्था करेगा। पत्राचार के लिए नाम एवं पता तथा विद्यार्थी के बैंक खाते जिसमें छात्रवृत्ति को जमा कराया जायेगा की सूचना बोर्ड द्वारा सूची के साथ प्रेषित की जायेगी।

7. **छात्रवृत्ति की दर** (RATE OF SCHOLARSHIP) :-

छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तर पर महाविद्यालयीन तथा विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम के प्रथम तीन वर्ष के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 2000 रूपये प्रतिमाह होगी। इसी तरह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति की दर चौथे और पांचवें वर्ष 2000 रूपये प्रतिमाह होगी। छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष शैक्षणिक वर्ष के 10 माह के लिए दी जायेगी।

8. **माता–पिता की आय की उच्चतम सीमा** (PARENTAL INCOME CELILING) :-

छात्रवृत्ति सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को दी जायेगी जो नॉन क्रीमी लेयर जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं. 36012/22/93 - ESTT (SCT) दिनांक 08.11.1993 में परिभाषित किया गया है तथा विभाग के ओ.एम. सं. 36033/3/2004 ESTT (RES) द्वारा जिसमें संशोधन किया गया है तथा जिसमें समय–समय पर आगे भी संशोधन किया जा सकता है, से संबंधित हो तथा जिसे अन्य कोई और छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। वर्तमान में आय की उच्चतम सीमा 4.5 लाख रूपये वार्षिक है। प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते विद्यार्थी नवीनीकरण हेतु निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।

9. **छात्रवृत्ति की अवधि एवं उसका नवीनीकरण** (DURATION OF SCHOLARSHIP AND ITS RENEWAL) :-

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति इसी वर्ग में स्नातकोत्तर स्तर तक प्रतिवर्ष नवीनीकरण के योग्य होगी। सभी प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उनके स्नातक स्तर तक यह छात्रवृत्ति नवीनीकरण के योग्य होगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए यह छात्रवृत्ति अधिकतम पांच वर्ष तक नवीनीकरण के योग्य होगी। नवीनीकरण अगली कक्षा में प्रोन्नति पर निर्भर करेगा बशर्ते विद्यार्थी 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक या समान श्रेणी (ग्रेड) प्राप्त करें। दो पिछले सेमेस्टरों में कुल अंकों में औसत अंक या वार्षिक परीक्षा में औसत अंक प्राप्त करें जिनके आधार पर उसे कक्षोन्नति प्राप्त हो। यह अनुशासन तथा कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति की शर्त पर देय होगी। छात्र की अनुशासनहीनता

की शिकायत तथा रैगिंग में संलग्न होने की शिकायत छात्रवृत्ति को जब्त करा सकती है। यदि विद्यार्थी बीमारी या अन्य किसी प्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा न दे सकें तो चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को संतुष्ट करने हेतु प्रस्तुत करने पर छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत कर दी जायेगी बशर्ते संस्था प्रधान यह प्रमाणित करे कि यदि वह छात्र परीक्षा देता तो 60 प्रतिशत अंक का औसत ग्रेड प्राप्त करता। यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूरा होने से पूर्व ही उसे छोड़ दे या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना पाठ्यक्रम बदल दे तो छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जायेगी। छात्रवृत्ति के नियमित रहने के लिए उत्तम चरित्र एवं उपस्थिति की नियमितता भी अपेक्षित है ऐसे मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का निर्णय अतिम होगा। एक बार छात्रवृत्ति निरस्त हो जाये तो किसी भी स्थिति में उसका नवीनीकरण नहीं हो सकेगा।

10. **छात्रवृत्ति का भुगतान** (PAYMENT OF SCHOLARSHIP) :-

चयनित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा छात्र के बैंक खाते में सीधे ही कर दिया जायेगा। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रवेश लेने के महिने से ही शुरू हो जायेगा। छात्रवृत्ति एक शैक्षिक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए ही दी जा सकेगी।

----------xx---------